

298

106

न्यायालय : मानवीय राजस्व मैडल मध्यप्रदेश ग्वालियर.

R 2973-का/13

1013

पुनरीक्षण आवेदन क्र/

प्रतिवेदन सम  
करने हेतु संब  
पटवारियों को  
करने हेतु आव  
गया

संघारित है।  
संघारित है।  
व सील नहीं पाई गई है।  
द्वारा प्राप्त किया गया  
गम, पदनाम व सील अंकि

संघारित है।  
35/-  
ग रही है 5 रुपा अ-79



C.F. 20/-

दाम्भरण तन्य स्व० सुदामा ब्रा० निवासी ग्राम लोहद्वार, तहसील रायपुर

कुपार बिला, म०प्र० सुधार बिला, म०प्र० 2018/17 के प्रक्रम/

आवेदक

विरुद्ध,

01- शुहस्यति प्रसाद

02- जानकीप्रसाद

03- लक्ष्मण प्रसाद तीनोपुत्रग्नि स्व० सुदामा प्रसाद ब्रा०

04- विश्वनाथ प्रसाद मृत के वारिसा-

क- सीता तिवारीपत्नी विश्वनाथ प्रसाद ब्रा०

ब- पूजा पुत्री स्व० विश्वनाथ प्रसाद

ग- रशमी पुत्री स्व० विश्वनाथ प्रसाद

घ- प्राची पुत्री स्व० विश्वनाथ प्रसाद

इ- प्रभुनाथ उफलाला तन्य स्व० विश्वनाथ प्रसाद

“अव्यक्त अव्यक्त दारा वली संरक्षिका माँ सीता तिवारी पत्नी

विश्वनाथ प्रसाद ब्रा०

05- प्रदुमनाथ तन्य स्व० सुदामा प्रसाद ब्रा०

06- राशिरमण तन्य स्व० सुदामा प्रसाद ब्रा०

सभी निवासी ग्राम लोहद्वार तह० रायपुर कुं० जिला रीवा, म०प्र०

आवेदकगण

पुनरीक्षण आवेदन अन्तर्गत धारा 50 म०प्र०भ०रा०

त० 1959 विरुद्ध आदेश अमर कलेक्टर रीवा दिनांक

04.06.1959 जो राजस्व निगरानी प्र०क्र०199/अ-74/

368  
२८-१-३

प्रा - १५१०४ २२/१८/१८ के अंतर्गत भावेश्वर के द्वारा  
उनके विविध वार्ताएँ दिया गया। विविध भावेश्वर के सब लोगों ने उन्हें बहुत खुशी से स्वीकृति की।  
१-३१) न-पुमार तन्हाव. राम-पटा निः प्राप्तवेदना तद० शायुष-कुमा० १८/१८,  
१-३२) तेजवली पुमी द्व. राम-पटा - लिखेदगांधी तद० उत्तर दिल्ली १८/१८,  
१-३३) लीलावती द्व. पुमी द्व. राम-पटा - लिखेदगांधी तद० उत्तर दिल्ली १८/१८,  
१-३४) योगनली द्व. पुमी द्व. राम-पटा निः लिखेदगांधी तद० उत्तर दिल्ली १८/१८,  
१-३५) दुर्विजा द्व. पुमी द्व. राम-पटा निः लिखेदगांधी तद० उत्तर दिल्ली १८/१८,  
१-३६) दृष्टि तन्हा योग्य द्व. राम-पटा निः लिखेदगांधी तद० उत्तर दिल्ली १८/१८,  
इसमानीकृत आवश्यकता के लिए इसका लाभान्वित है।

अध्यक्ष वार्ताएँ दिया गया।  
२६/१२/१८

म

३२-१-३

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ—अ

प्रकरण क्रमांक R-2973-III/13

जिला—रीवा

रामचरण ब्रा०/बृहस्पति प्रसाद वगैरः

(1)	(2)	(3)
29.04.19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अरविन्द पाण्डेय उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 199/अ-74/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 04.06.2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म०प्र० भू—राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 16.07.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p></p> <p>(बी.एम.शर्मा), सदस्य</p>	